भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 166440

बी0आर0 पब्लिक स्कूल ट्रस्ट

ट्रस्ट डीड

यह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट डीड इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत दिनांक 04–09–2018 को श्रीमती फोटो देवी पत्नी श्री गुलाब चन्द्र निवासिनी रानीपुर, हण्डिया, इलाहाबाद (उ0प्र0) संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक के रूप में स्थान रानीपुर, सिरसा चौराहा, हण्डिया, इलाहाबाद (उ0प्र0) में संस्थापित/निष्पादित किया गया।

बी0आर0 पब्लिक स्कूल ट्रस्ट के संचालन हेतु संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा रु0 51,000/– (इक्यावन हजार) की निधि संस्थापित की गयी, जो ट्रस्ट फण्ड के रूप में ट्रस्ट के संचालन हेतु प्रयुक्त होगी। यह राष्ट्रीय स्तर का ट्रस्ट होगा। यह ट्रस्टपित न्यास को न्यासी न्यास निधि के प्रारम्भिक कोषराशि के रूप में रु0 51,000/– (इक्यावन हजार) अंशदान किया गया है।

प्रारम्भिक कोषराशि के अतिरिक्त विभिन्न अंशदान संग्रह और उल्लेखित धन में सम्वृद्धि और उसके रूपान्तरण और उसमें निवेश जो समय–समय पर किये जा सकते है तथा चल–अचल सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों जो समय–समय पर न्यासियों के सुपुर्द की जायेगी या जिन्हें न्यासी उस लेखपत्र के अर्न्तगत या कानून के प्रयोग से या अन्यथा यहॉ गठित किये गये न्यास के लिए प्राप्त करेंगे या स्वीकार करेंगे, जो न्यास निधि का हिस्सा होगी और जिसमें इस न्यास के उद्देश्य खण्ड में उल्लिखित न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एक अखण्डनीय न्यास के रूप में एक स्थाई न्यास के गठन करने के लिए यह उचित समझा गया कि इस न्यास के गठन के लिहाज से संचालन व उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्न प्रकार के नियम व उपनियम बनाये गये। ट्रस्ट का संचालन इन्हीं उद्देश्यों व नियमों के अनुसार किया जायेगा।

फोटो



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (2) DW 418917

बी0आर0 पब्लिक स्कूल ट्रस्ट
के उद्देश्य व नियमावली/संविधान

1. ट्रस्ट का नाम – बी0आर0 पब्लिक स्कूल ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता – रानीपुर, सिरसा चौराहा, हण्डिया, इलाहाबाद (उ0प्र0)
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. ट्रस्ट के उद्देश्य :

1. सम्पूर्ण भारतवर्ष के सभी वित्तीय एवं वित्तविहीन विद्यालयों के कल्याण हेतु कार्य करना एवं उनके प्रबंधन एवं संचालन में सहयोग प्रदान करना।
2. कार्य क्षेत्र में गरीबों, पिछड़ों दलितों एवं असहाय तथा आर्थिक रूप से विपन्न वर्गों के कल्याण के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, उनका प्रबंध एवं संचालन करना।
3. आंगनबाड़ी, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था करना।

क. विभिन्न प्रकार की शिक्षण/शिक्षणेत्तर संस्थाओं का संचालन करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय संस्थाओं से शैक्षिक संगोष्ठियों आदि के माध्यम द्वारा सम्पर्क स्थापित कर समसामयिक एवं नवीनतम तकनीकों/विधाओं तथा सम्बोधों से ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं/शिक्षकों को परिचित कराना, ट्रस्ट द्वारा व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं को संचालित करना तथा उनके माध्यम से छात्र एवं छात्राओं को शिक्षित करना। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान में सहयोग देने के उद्देश्य से ट्रस्ट द्वारा पौढ़ शिक्षा के माध्यम से प्रौढ़ो को साक्षर करना, जिससे लोकतांत्रिक स्तम्भ मजबूत हो सके। ट्रस्ट संविधान में सन्निहित शिक्षा का सृजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से 0 से 14 वय वर्ग के औपचारिक शिक्षा से वंचित/ड्राफ्ट आउट बालिकाओं के शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

न्यास पत्र

प्रतिफल- 51000 स्टाम्प शुल्क- 2700 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - ~~500~~ 1020 प्रतिलिपिकरण शुल्क 100 योग : ~~600~~ 1120





श्रीमती फोटो देवी ,
पत्नी श्री गुलाब चन्द्र
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: ग्राम रानीपुर परगना मह हंडिया इलाहाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/09/2018 एवं 02:44:13 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव त्रिपाठी
उप निबंधक :हंडिया
इलाहाबाद
04/09/2018

प्रवीन कुमार लिपिक
वरिष्ठ सहायक (निबंधन)

न्यास पत्र

प्रतिफल- 51000 स्टाम्प शुल्क- 2700 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - ~~500~~ 1020 प्रतिलिपिकरण शुल्क ~~100~~ योग : ~~560~~ 1120





श्रीमती फोटो देवी ,
पत्नी श्री गुलाब चन्द्र
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: ग्राम रानीपुर परगना मह हंडिया इलाहाबाद

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 04/09/2018 एवं 02:44:13 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव त्रिपाठी
उप निबंधक :हंडिया
इलाहाबाद
04/09/2018

प्रवीन कुमार लिपिक
वरिष्ठ सहायक (निबंधन)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW-418918

ख. ट्रस्ट महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक एवं अन्य असहाय एवं धनाभाव से ग्रस्त तथा सुविधाओं से वंचित लोगों की व्यवस्था करेगा तथा विकलांग एवं मंद बुद्धि वाले बालक बालिकाओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था करेगा।

ग. ट्रस्ट मूक वधिर एवं अन्य विकलांग एवं विधवाओं के लिए नैतिक आर्थिक एवं सामाजिक सहारे की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा के माध्यम से तथा रुचियों के अनुरूप, व्यवसायिक शिक्षा तथा सिलाई, बुनाई, खिलौना निर्माण, परिधान निर्माण, डिजाइन कढ़ाई, टंकण एवं अन्य समाज में अपने को उपेक्षित एवं अकेला महसूस करने वाले परिजनों, परित्यक्त, वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं, अवकाश प्राप्त सेवा कर्मियों की मनोदशा एवं मनोबल को ऊँचा उठाने के निमित्त वृद्ध आश्रमों की व्यवस्था करेगा, जहाँ उनके शारीरिक, मानसिक मनोरंजन की स्तरीय व्यवस्था होगी। आर्थिक रूप से आत्म निर्भर होने के लिए छोटे–मोटे अवसर उपलब्ध होंगे तथा यदि उनके पास किसी विशिष्ट क्षेत्र में दीर्घ अनुभव हो तो उनका लाभ समाज के अन्य वर्ग के लोगों को प्रदान करने में क्रियाशील रहने की व्यवस्था की जाय और समाज के प्रत्येक वर्ग में आपसी सौहार्द एवं सह अस्तित्व का भाव पुष्ट किया जायेगा, जिसके एक स्वस्थ समाज का विकास हो सके।

घ. ट्रस्ट सार्वजनिक वाचनालय की व्यवस्था करेगा, जिसमें विभिन्न दैनिक समाचार पत्र एवं देश–विदेश की विभिन्न पत्रिकाओं निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी साथ ही पुस्तकालय की व्यवस्था कर समाज सेवी संगठनों के माध्यम से ट्रस्ट लावारिस लाशों को हटाने के लिए एम्बुलेन्स की व्यवस्था निःशुल्क करेगी तथा यथासम्भव उनका अन्तिम संस्कार करायेगा और लावारिस एवं बीमार लोगों को इलाज हेतु अस्पताल पहुँचाने एवं उनके देखरेख की व्यवस्था के साथ गरीब बीमारों को दवा देना तथा गन्दगी एवं नाली की सफाई की व्यवस्था करेगा और मेले, भीड़ आदि में भटके लोगों को पुनः

कीर्ती

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती फोटो देवी, पत्नी श्री गुलाब चन्द्र

निवासी: ग्राम रानीपुर परगना मह हंडिया इलाहाबाद

व्यवसाय: गृहिणी




ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गुलाब चन्द्र , पुत्र श्री बब्बू राम

निवासी: ग्राम रानीपुर परगना मह हंडिया इलाहाबाद

व्यवसाय: कृषि




पहचानकर्ता : 2

श्री प्रदीप कुमार , पुत्र श्री राजमणि

निवासी: ग्राम झारी परगना मह हंडिया इलाहाबाद

व्यवसाय: कृषि




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव त्रिपाठी
उप निबंधक : हंडिया
इलाहाबाद

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रवीन कुमार लिपिक
वरिष्ठ सहायक (निबंधन)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418919

उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था करेगा और किसी भी दैवीय आपदा में समाज को सहयोग प्रदान करेगा।

ङ ट्रस्ट दस्तकारी, ग्रामीण उद्योग, गृह उद्योग तथा अन्य सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन करेगा तथा सभी प्रकार के बेरोजगार एवं विशेषकर गरीब असहाय महिलाओं, दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, निर्बल तथा आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था कर स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करेगा, इसके साथ ही ऊसर, बंजर तथा अन्य प्रकार की भूमि को कृषि हेतु उपजाऊ बनाने के लिए शोध एवं सुधार कार्य करेगा और इसके लिए विभिन्न विभागों से सम्पर्क कर कार्य करेगा तथा वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम का संचालन करना और कृषि की उन्नति के लिए सुधार शोध और योजना परियोजना चलाना।

च. कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के शोध एवं अनसुधान कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

4. शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु विद्यालय, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निकल, फार्मेसी कालेज, मेडिकल कालेज, बी0टी0सी0 (डी0एल0एड0) /बी0एड0, एम0एड0 कालेज, आई0टी0आई0, बायोटेक संस्थान एवं अन्य समस्त शैक्षणिक व शोध संस्थानों को संचालित करना।
5. गरीब/निर्धन छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना।
6. वृद्धाश्रम एवं अनाथालय का निर्माण एवं व्यवस्था करना।
7. चिकित्सालय, नर्सिंग होम एवं मैटररिटी होम स्थापित एवं संचालित करना।
8. चिकित्सा कालेज स्थापित एवं संचालित करना।
9. नेत्र एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविरों का प्रबन्ध करना।
10. ग्रामीण अंचल में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
11. विकलांग केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418920

12. अन्य समितियों द्वारा हस्तान्तरति विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं का संचालन करना।
13. धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उनका प्रबन्ध करना।
14. कृषि–वानिकी, फलोधान एवं खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों का संचालन करना।
15. महिला, युवा, बाल कल्याण एवं कमजोर वर्ग के कल्याण हेतु प्रशिक्षण एवं रोजगारपरक कार्यक्रमों का संचालन करना।
16. लोगों के बेहतर स्वास्थ्य हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा एवं होम्योपैथी आदि को प्रोत्साहन देना, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार–प्रसार करना, इनके चिकित्सकों को प्रोत्साहन व सहयोग देना, ट्रस्ट द्वारा इन चिकित्सा पद्धतियों पर इलाज हेतु चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना। योगा कैम्प का आयोजन करना।
17. आयुर्वेदिक औषधियों की सहज उपलब्धता हेतु हर्बल गार्डेन की स्थापना करवाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को आयुर्वेदिक औषधियों की खेती हेतु प्रोत्साहित करना, सहयोग देना आदि।
18. मानसिक व शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांग) लोगों को शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु सहयोग प्रदान करना, उन्हें रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही बैंक से ऋण/अनुदान की सुविधा, बीमा व पेंशन आदि की सुविधाएं दिलाना। विकलांगों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र व पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
19. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों व मजदूरों के बच्चों को ज्ञानप्रद, रोजगारपरक एवं संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0, पालीटेक्निक संस्थान, विधि एवं अन्य तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा हेतु शोध संस्थान, पुस्तकालय, वाचनालय तथा विश्वविद्यालय की स्थापना करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418921

20. ट्रस्ट द्वारा शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, वेद विद्यालय एवं मदरसा आदि की स्थापना व संचालन करना।

21. ट्रस्ट द्वारा नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रमों का संचालन करना तथा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र व चिकित्सा केन्द्र की स्थापना व संचालन करना, नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना करना।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम (आर0टी0आई0 ऐक्ट) 2005 को प्रभावी बनाने हेतु विविध प्रयास करना। मानवाधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आजीविका का अधिकार आदि के सन्दर्भ में लोगों को जागरूक बनाना तथा विविध कार्यक्रमों का संचालन करना।

23. राष्ट्रीय पर्वो (15 अगस्त, 2 अक्टूबर व 26 जनवरी) का आयोजन करना, महापुरुषों की जयन्ती समारोह का आयोजन करना तथा लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना।

24. ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज/बीज बैंकों, गो–डाउन/भण्डारण गृह एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना व संचालन करना।

25. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों/युवतियों को रोजगार सृजन हेतु व्यवसायिक, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करना। इस हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकारों की योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थान, जन शिक्षण संस्थान, आई0टी0आई0, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना व संचालन करना।

26. प्राकृतिक धरोहरों/सम्पदाओं जैसे नदियाँ, पहाड़, जंगल, झील, कुएँ सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत/महत्व के स्थल, पर्यटक स्थल, स्मारक स्थल आदि का संरक्षण, सवंर्धन करना। इसके लिए जरूरत पड़ने पर जनजागरण अभियान चलाना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418922

27. भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न अभियानों जैसे–स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा यमुना मिशन, कौशल विकास मिशन, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं, जन–धन–योजना, मुद्रा बैंक, जैविक खेती अभियान आदि का संचालन व प्रचार प्रसार–करना।

28. समाज में उपेक्षित, निर्धन व असहाय लोगों को आर्थिक, सामाजिक रूप से सहयोग प्रदान करना। गरीब व निर्धन लोगों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र आदि की सुविधा देना, बेटियों की शादी विवाह में सहयोग प्रदान करना।

29. अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मुस्लिम समुदाय व पिछड़े समुदाय के लोगों को उनके आर्थिक व सामाजिक, शैक्षिक विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों का संचालन करना।

30. लेखकों, साहित्यकारों व पत्रकारों को प्रशिक्षित, सम्मानित व प्रोत्साहित करना, उन्हें सम्मान पत्र व प्रशस्ति पत्र प्रदान करना। उनके द्वारा लिखित लेखों व रचनाओं का प्रकाशन करना, उनको हर प्रकार की सहायता प्रदान करना।

31. सामाजिक समता व समरसता तथा धार्मिक सद्भावना हेतु विविध प्रयास करना।

32. ग्रामीण क्षेत्रों व मलिन बस्तियों में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा देना, एड्स, टी0बी0, कुष्ठ रोग, अन्धापन, कैंसर आदि बीमारियों से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाना तथा पीड़ित लोगों को इलाज में सहयोग प्रदान करना।

33. ट्रस्ट द्वारा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं अभियान का संचालन करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु प्रयास करना, बेटी–बेटा में समानता लाने हेतु लोगों को जागरूक बनाना, बाल विवाह रोकने हेतु प्रयास करना।

34. भारत सरकार, राज्य सरकार, निगम, कारपोरेट फण्ड, सी0एस0आर0 फण्ड आदि के द्वारा विज्ञापित टेण्डर, रूचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आवेदन भेजना व



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) DW 418923

अनुदान/मानदेय/फण्ड लेकर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन करना।

35. शैक्षिक प्रसार से समाज को सन्तुष्ट करने के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करना तथा स्थापना हेतु भूमि को क्रय करना व विक्रय करना लीज पर लेना आदि। शिक्षण– प्रशिक्षण से सम्बन्धित जनजागरण कार्यक्रम का संचालन तथा तत्सम्बन्धी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं प्रशिक्षित शिक्षकों को तैयार करना।

36. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक, वित्तीय संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकरणों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार, निगम, सी0एस0आर0 फण्ड, कारपोरेट फण्ड, विदेशी फण्ड, आदि से चन्दा, दान, अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना व ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यय करना।

37. ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किसी उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि, भवन, सूखाचारों, भोगाधिकारों तथा चल/अचल सम्पत्तियों का दान, क्रय, विक्रय, किराये, पट्टे पर लेना या किराये पर देना या किसी अन्य तरीके से अर्जित करना आदि।

38. शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 व अन्य राज्यों के बोर्डों से शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करेगा।

39. चिकित्सालय, नर्सिंग होम एवं मैटररिटी होम तथा ट्रामा सेन्टर स्थापित एवं संचालित करना।

फोटो



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418924

40. इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा संचालित ए0एन0एम0 एवं जी0एन0एम0, डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी–फार्मा), बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी–फार्मा) संस्थान की स्थापित एवं संचालित करना एवं रिफ्रेशर ट्रेनिंग स्कीम फोर हेवी व्हीकल ड्राईवर्स का प्रशिक्षण प्रदान करना एवं रोड सेफ्टी प्रोग्राम का संचालन करना।

41. जेनेटिक काउंसलिंग सेन्टर/जेनेटिक प्रयोगशाला/जेनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रासाउण्ड क्लीनिक/इमेजिंग सेन्टर का संचालन करना।

5. ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं पदाधिकारी निम्नलिखित होंगे:–

क्रमांक	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री ब्रम्हदेव पुत्र श्री सूर्यबली	जरांव, हण्डिया, इलाहाबाद	अध्यक्ष	समाजसेवा
2	श्री गुलाब चन्द्र यादव पुत्र श्री भगौती प्रसाद यादव	सोनबरसा, हण्डिया, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3	श्रीमती फोटो देवी पत्नी श्री गुलाब चन्द्र	रानीपुर, हण्डिया, इलाहाबाद	संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव / प्रबन्धक	समाजसेवा
4	श्री रमा शंकर पुत्र श्री राम प्यारे	रानीपुर, हण्डिया, इलाहाबाद	उपसचिव/ उपप्रबन्धक	समाजसेवा
5	श्री गुलाब चन्द्र पुत्र श्री बब्बूराम	रानीपुर, हण्डिया, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा

6. ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक बी0आर0 पब्लिक स्कूल ट्रस्ट रानीपुर, सिरसा चौराहा, हण्डिया, इलाहाबाद (उ0प्र0)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

के आजीवन संस्थापक/प्रबन्धक होंगे और उन्हीं को नये ट्रस्टी बनाने का अधिकार होगा। उनकी मृत्यु हो जाने पर उनका उत्तराधिकारी संस्थापक/मुख्य न्यासी न्यासी/सचिव/प्रबन्धक होगा।

7. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/ न्यासी/सचिव/ प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा। उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद योजित नहीं किया जायेगा।

8. बी0आर0 पब्लिक स्कूल ट्रस्ट रानीपुर, सिरसा चौराहा, हण्डिया, इलाहाबाद (उ0प्र0) के संस्थापक /मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक श्रीमती फोटो देवी अथवा उनके वैध उत्तराधिकारी को ट्रस्ट की चल/अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

9. ट्रस्ट की सदस्यता का वर्गीकरण :

अ. संस्थापक ट्रस्टी :
संस्थापक व्यक्ति मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक तथा संस्थापक सदस्य ही संस्थापक ट्रस्टी होंगे।

ब. प्रवेश शुल्क :
ट्रस्ट में ट्रस्टी/सदस्य बनने के लिए रू0 21,000/– प्रवेश शुल्क देय होगा

स. आजीवन ट्रस्टी :
जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक बार में रु0 51,000/– (इक्यावन हजार) नकद या इतने ही मूल्य या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति दानस्वरूप देगा वह ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा। ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/ प्रबन्धक श्रीमती फोटो देवी आजीवन सदस्य होंगी।

द. सामान्य ट्रस्टी :
जो व्यक्ति ट्रस्ट को 11,000/ रू0 वार्षिक दानस्वरूप देगा वह ट्रस्ट का सामान्य सदस्य होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418926

य. समाज में सम्मानित, पेशेवर व सामाजिक लोग जैसे–शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कृषि वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायी, बैंक मैनेजर, रिटायर्ड न्यायमूर्ति, भूतपूर्व सैनिक, वि0वि0 के प्रोफेसर, रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, धार्मिक सन्त, किसान, मजदूर तथा हस्तशिल्पी आदि ट्रस्ट में सलाहकार मण्डल के सदस्य होंगे। ऐसे सदस्यों से कोई सदस्यता शुल्क नहीं लिया जायेगा तथा उन्हें ट्रस्ट से सम्बन्धित किसी भी स्तर के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

नोटः सभी श्रेणी के सदस्य/ट्रस्टी के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक की सहमति एवं लिखित अनुमति के पश्चात् बनाये जायेंगे। संस्थापक/मुख्य न्यासी/ सचिव/प्रबन्धक की लिखित अनुमति के बिना बनाये गये किसी भी श्रेणी के सदस्य/ट्रस्टी के अवैध व अमान्य होंगे।

10. निम्न कारणों से कोई ट्रस्टी/सदस्य अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता है :
मृत्यु हो जाने पर, पागल या दिवालिया हो जाने पर, शुल्क न अदा करने पर, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, ट्रस्ट के नियमों का पालन न करने पर, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर। सदस्यता समाप्त करने का सर्वाधिकार ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक में निहित होगा

11. यदि कोई ऐसा ट्रस्टी/सदस्य जो ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा पदमुक्त किया जाता है या किसी कारणवश ट्रस्ट से पृथक होता है तो वह पदवी व नाम ट्रस्ट के संस्थापक को वापस कर देगा और उसका उपयोग व उस नाम का उपयोग अन्यत्र नहीं करेगा और न ही ट्रस्ट द्वारा संचालित किए जा रहे संस्थाओं के नियमों का प्रचार–प्रसार करेगा यदि ऐसा करता पाया जाता है तो वह दण्डनीय अपराध माना जायेगा। जिसके लिए वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418927

इस सम्बन्ध में समस्त प्रकार की अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही का अधिकार ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक में निहित होगा।

12. ट्रस्ट के अंग :

1. मार्गदर्शक समिति
2. प्रबन्धकारिणी समिति
3. साधारण सभा

(1) मार्गदर्शक समिति :

सभी प्रकार के ट्रस्टियों में से अनुभवी व सक्रिय ट्रस्टियों को मिलाकर मार्गदर्शक समिति का गठन किया जायेगा। मार्गदर्शक समिति का गठन संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक के द्वारा किया जायेगा। संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव /प्रबन्धक को मार्गदर्शक समिति के गठन, नये सदस्यों का चयन तथा निष्क्रिय सदस्यों को हटाने का विशेषाधिकार होगा।

(2) कार्यकारिणी समिति :

कार्यकारिणी समिति का गठन संस्थापक, आजीवन, सामान्य ट्रस्टी/ सदस्यों से कार्यकारिणी समिति का गठन होगा। कार्यकारिणी समिति के ट्रस्टियों की अधिकतम कुल संख्या 5 होगी और उन्हीं कार्यकारिणी समिति के ट्रस्टियों से कार्यकारिणी समिति के पदाधिकरियों का चयन किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक, एक उपसचिव/उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष होंगे। ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/ सचिव/प्रबन्धक अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे, उनके मृत्योपरान्त उनका वैध उत्तराधिकारी/नामिनी इस पद के लिए अर्ह होगा। सचिव/प्रबन्धक के पद को चुनाव प्रक्रिया से पृथक रखा जायेगा इस पद पर चुनाव नहीं होगा। अधिकतम



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418928

सदस्यों की संख्या संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक लिखित निर्देशानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है। ट्रस्ट के पंजीकरण के समय कुल 5 पदाधिकारी होंगे, शेष सदस्य पंजीकरण के पश्चात् संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा जोड़े जायेंगे। ट्रस्ट का संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक ही ट्रस्ट का आजीवन सचिव/प्रबन्धक रहेगा उसके त्याग पत्र या मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी/नामिनी ही सचिव/प्रबन्धक बन सकेंगे।

(3) साधारण सभा :

मार्गदर्शक ट्रस्टी को छोड़कर समस्त प्रकार के सदस्यों को मिलाकर गठित समिति साधारण सभा होगी। साधारण सभा के सदस्यों की कोई अधिकतम सदस्य सीमा नहीं होगी। सम्पूर्ण देश से आवश्यकतानुसार ट्रस्ट की साधारण सभा में संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक की लिखित स्वीकृति से बनाया जायेगा, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा एवं संस्थापक/ मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा साधारण सभा के सदस्यों का कार्यकाल घटाया–बढ़ाया भी जा सकता है एवं इनको ट्रस्ट के निर्वाचन में मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

13. कोरम व बैठक की सूचना :

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 1/3 उपस्थिति कोरम मानी जायेगी और कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दूरभाष या अन्य माध्यम से दी जायेगी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418929

14. रिक्त स्थान की पूर्ति :

कार्यकारिणी समिति के पदाधिकरियों के किसी भी रिक्त पद की पूर्ति ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

15. ट्रस्ट का कार्यकाल अनिश्चित होगा। मात्र रिक्त पदों की पूर्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा अथवा ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

16. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अ. अध्यक्ष :

1. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना।
3. अन्य वह सभी कार्य करना हो ट्रस्ट के लिए उपयोगी, हितकर व विधिमान्य हों।

ब. उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को सम्पादित करना और सामान्य रूप से उसके कार्यो में सहयोग करना।

स. संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक :

1. ट्रस्ट का मुख्य वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी होगा। तत्सम्बन्धी समस्त अधिकार संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक में निहित होंगें।
2. समस्त प्रकार की बैठकों को संचालित करना।
3. बैठकों की कार्यवाहियों की लिपिबद्ध करना।
4. ट्रस्ट की ओर से सभी बिल/बाउचरों को भुगतान करना/कराना।
5. ट्रस्ट की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही का संचालन करना।

के साथ बैंधा

दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता ला0 30 82
हण्डिया-इलाहाबाद

उप निबंधक हण्डिया जिला-इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418930

6. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक, प्राइवेट कम्पनी अथवा फाइनेन्सर्स द्वारा ऋण, अनुदान, दान, चन्दा आदि प्राप्त करना।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल–अचल सम्पत्ति क्रय/विक्रय करना।
8. ट्रस्ट की समस्त चल–अचल सम्पत्तियों एवं अभिलेखों पर नियंत्रण रखना।
9. वार्षिक आय–व्यय का विवरण तैयार करना।
10. सदस्यों/ट्रस्टी से सदस्यता शुल्क प्राप्त करना और ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गयी रसीद से रसीद निर्गत करना।
11. सभी प्रकार के त्याग पत्रों को स्वीकार करना। ट्रस्ट के लिए चल/अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय करना। ऐसे सभी क्रय/विक्रय ट्रस्ट की ओर से समझा जायेगा।
12. समय–समय पर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के कार्यो का निरीक्षण करना और सोसाइटियों के सभी कार्य ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक में निहित होंगे।
13. ट्रस्ट की ओर से संचालित संस्थाओं के लिए सभी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, प्रोन्नति, पदावनति उवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

द. उपसचिव/उप्रबन्धक :

संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में संस्थापक /मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करना और सामान्य रूप से संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/ प्रबन्धक के कार्यों में सहयोग प्रदान करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418931

य. कोषाध्यक्ष :

1. ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धन को सुरक्षित रखना। संस्थपक/मुख्य न्यासी/सचिव /प्रबन्धक के निर्देशानुसार बैंक खाते में जमा करना।
2. ट्रस्ट द्वारा प्राप्त धनराशि का लेखा–जोखा रखना।
3. वार्षिक बैठक में ट्रस्ट का आय–व्यय प्रस्तुत करना।

र. आय–व्यय निरीक्षक :

ट्रस्ट के वार्षिक आय–व्यय का निरीक्षण व परीक्षण करना एवं प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

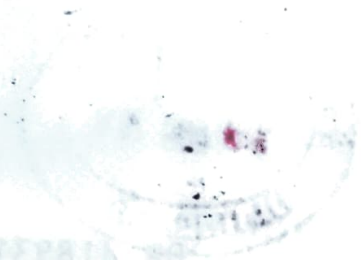
17. ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में संशोधित प्रक्रिया :
ट्रस्ट के नियमावली में संशोधन संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/ प्रबन्धक द्वारा परस्पर सहमति या बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

18. ट्रस्ट का कोष :
ट्रस्ट का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त हस्ताक्षरों से भी खाते का संचालन किया जा सकता है।

19. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण :
ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण प्रतिवर्ष ट्रस्ट के आय–व्यय निरीक्षक अथवा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा जिसका पारिश्रमिक कार्यकारिणी समिति के निर्णय से भुगतान किया जायेगा।

ग्रा. पो. 45 ... की दीमत 100 का फोटोडेबी
पुत्र (2) लालचन्द जाति [illegible]
पो0/पत्रालय ...गाँव हरिपुरा ... जनपद इलाहाबाद -
के साथ बेचा

[illegible]
04-09-18







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418932

20. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :
ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के समस्त प्रकार के वाद–विवाद के निपटारे का न्यायालय क्षेत्र इलाहाबाद ही होगा तथा समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा की जायेगी या इनके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

21. विघटन :
ट्रस्ट का विघटन इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार किया जायेगा। ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में दायित्वों के निपटारे के पश्चात सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति अन्य समुद्देशीय ट्रस्ट को अथवा संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक को या उनके उत्तराधिकारियों को अन्तरित कर दी जायेगी। ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पर संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक का तथा उनके उत्तराधिकारियों का पूर्ण अधिकार होगा।

22. अन्य :
ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने वाले पूर्णकालिक/ अंशकालिक कर्मचारियों व पदाधिकारियों को ट्रस्ट की योजनानुसार वेतन/मानदेय/यात्रा भत्ता, आवास आदि प्रदान किया जायेगा। ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी/सदस्य भी जो ट्रस्ट की योजनानुसार पूर्णकालिक/अंशकालिक सेवायें प्रदान कर रहे हैं, उनको भी ट्रस्ट की योजनानुसार वेतन/मानदेय/भत्ता आदि प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक को सर्वाधिकार प्राप्त होगा तथा उनका निर्णय सर्वमान्य होगा।

पारीख

भारत सरकार
Government of India



फोटो देवी
Photo Devi
जन्म तिथि / DOB : 01/01/1978
महिला / Female

7702 6355 4683

आधार - आम आदमी का अधिकार

फोटो



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O: गुलाब चन्द्र, रानीपुर, सिरसा, इलाहाबाद, सिरसा चौराहा, उत्तर प्रदेश, 221503

Address:
W/O: Gulab Chandra, Ranipur, Sirasa, Allahabad, Sirsa Chauraha, Uttar Pradesh, 221503

7702 6355 4683

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

भारत सरकार



प्रदीप कुमार

Pradeep Kumar

जन्म तिथि/ DOB: 15/05/1983

पुरुष / MALE

5278 3675 3734

मेरा आधार, मेरी पहचान

फोटो



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

पता:
आत्मज: राजमणि यादव, 8,
झारी, जंघई, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश - 212401

Address:
S/O: Rajmani Yadav, 8, jhari,
Jangha, Allahabad,
Uttar Pradesh - 212401

5278 3675 3734

MERA AADHAAR, MERI PEHACHAN

भारत सरकार
Government of India



गुलाब चन्द
Gulab Chandra
जन्म तिथि/DOB: 09/03/1976
पुरुष/ MALE



8734 5630 0212

मेरा आधार, मेरी पहचान

फोटो



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:
S/O: Babbu Ram, ranipur, Sirasa, Allahabad,
Uttar Pradesh - 221503

पता:
आत्मज: बब्बू राम, रानीपुर, सिरसा, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश - 221503

8734 5630 0212

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DW 418933

(ब) ट्रस्ट की साधारण सभा के सदस्य/ट्रस्टी के रूप में :

श्री ब्रम्हदेव, श्री विजय बहादुर, श्री गुलाब चन्द्र, श्रीमती फोटो देवी, श्री रमा शंकर, श्री बब्बूराम, श्री घनश्याम, श्री गुलाब चन्द्र, श्री जय प्रकाश, श्री श्याम लाल, श्री प्रदीप कुमार, श्री शिवसागर एवं श्री जीत लाल इत्यादि। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नामित किये जा रहे है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ट्रस्ट के संस्थापक/मुख्य न्यासी/सचिव/प्रबन्धक में कार्यकाल बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार निहित होगा।

लिहाजा यह ट्रस्ट डीड आज समक्ष गवाहान हस्ताक्षरित कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आये।

दिनांकः

हस्ताक्षर फोटो



गवाहान

1. प्रदीप कुमार S/o पी. राणा नंदी यादव Mo. 9554546312
   श्री. जंक्शन. इलाहाबाद
   आधार - 5278 3076 3734
2. गुलाब चन्द्र S/o श्री बब्बूराम निo. रानीपुर. इलाहिया, इलाहाबाद
   मोबाo. 9415567639 आधार — 873456300212



मसविदाकर्ता : राकेश कुमार 13/4/2016 9956260392

टाइपकर्ता :

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 18 के पृष्ठ 387 से ~~404~~ 422 तक क्रमांक 49 पर दिनाँक 04/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजीव त्रिपाठी
उप निबंधक : हंडिया
इलाहाबाद
04/09/2018